TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 11(22)/Rev. Estt./84(I)/ /396

Dated:

04/10/11

NOTIFICATION

No. 11(22)/Rev. Estt./84(I): In exercise of the powers conferred by Clause (a) of subclause (1) of Section 27 of the Punjab land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon *Sh. Jai Narayan, Tehsildar of Delhi Development Authority*, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in respect of land owned by or under the management of Delhi Development Authority, so long as he holds the post or till further orders whichever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LIEUTENANT GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

(Kuldeep Singh Gangar)

Additional Secretary (Revenue)

Dated: 05/10/11

F No. 11(22)/Rev. Estt./84(I)/ 1396

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.

2. The Deputy Director (S&S-I), Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, N. Delhi.

3. Officer concerned through Deputy Director (S&S-I), Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the notification on the website of this department.

5. P.S. to Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner, Delhi

6. Guard file.

(Rajiv Kumar)

Sub Divisional Magistrate-I (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार (राजस्व विभाग) 5, शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0. एफ.11(22)/रा.स्था./84(1)//396

दिनांक : *वर्ड /10/11*

अधिसुचना

सं0. एफ.11(22)/रा.स्था./84(1): - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदल्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जय नारायन, तहसीलदार, दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब तक वे इस पद पर बने रहते है अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व अथवा प्रबंध की अधीनस्थ भूमि के लिए सहायक कलैक्टर, द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर

03 (N214 12) e di 212

(कुलदीप सिंह गंगर) अति. सचिव (राजस्व)

सं0. एफ.11(22)/रा.स्था./84(1)/ /_296

दिनांक : 05/10/11

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- 1. उपसचिव (सा. प्रा.) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
- 2. उप.निदेशक (एस० एण्ड एस०-1), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली।
- 3. संबंधित अधिकारीं को उप.निदेशक (एस0 एण्ड एस0-1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए.
- 4. प्रणाली विश्लेशक (मु0) (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
- 5. सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त के निजी सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, ।
- 6. गार्ड फाइल ।

(राजीव कुमार)

उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-1)